E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 20-10-2024
Accepted: 22-11-2024
Published: 18-01-2025

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 3; Issue 1; 2025; Page No. 238-242

वैश्विक संदर्भों में विभिन्न सामाजिक स्थितियों में किशोर अपराध की प्रवृत्ति

[1]रीतू पटवा, [2]संतोष साल्वे

[1]शोधार्थी, मध्यानचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत
[2]शोध-पर्यवेक्षक, समाज शात्र विभाग, मध्यानचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17811103

Corresponding Author: रीतू पटवा

सारांश

किशोर अपराध की अवधारणा विकसित हो रही है, जिसे हाल ही में "कानून से संघर्षरत किशोर" कहा गया है, हालाँकि समाजशास्त्रीय चर्चाओं में पारंपरिक शब्दावली अभी भी प्रचलित है क्योंकि यह समाजशास्त्रियों को स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह अध्ययन किशोर अपराध के वैश्विक रुझानों की जाँच करता है और विभिन्न देशों में किशोर अपराधों की घटनाओं, प्रकृति और प्रकारों में महत्वपूर्ण भिन्नता को उजागर करता है। यह अध्ययन बताता है कि किशोर अपराध के लिए ऊपरी आयु सीमा राष्ट्रीय संदर्भों के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। भोपाल स्थित बाल सुधार गृहों में रहने वाले किशोर अपराधियों के साथ अनुभवजन्य जाँच की गई। यह एक समग्र संस्था है जिसकी परिकल्पना एर्विंग गोफमैन ने की थी। अध्ययन से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे गृहों में रहने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है, जिससे क्षेत्र में बाल अपराधों की घटनाओं में कमी का संकेत मिलता है। इस गिरावट का कारण बाल अपराधों से संबंधित वैचारिक ढाँचे में बदलाव या स्थानीय समुदायों में जीवन स्थितियों में सुधार हो सकता है।

मूल शब्दः किशोर अपराध, कानून, उजागर, अवधारणा, बाल सुधार गृह

प्रस्तावना

किशोर अपराध को 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा की गई आपराधिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। विभिन्न कारकों और परिस्थितियों के कारण, हाल के वर्षों में इन अवैध गतिविधियों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। डकैती या हत्या जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी किशोरों को आमतौर पर किशोर न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाता है। यह निर्णय अक्सर वकीलों द्वारा लिया जाता है, और कुछ मामलों में, बच्चे की उम्र और इतिहास, आचरण की गंभीरता और किशोर न्यायालय से सहायता प्राप्त करने के बच्चे के अधिकार पर विचार करने के लिए सुनवाई की आवश्यकता होती है। कई देशों ने किशोर अपराध पर अपने सख्त रुख के कारण नाबालिग अपराधियों को वयस्क न्यायालयों में स्थानांतरित करना आसान बनाने के लिए अपने किशोर कानूनों में संशोधन किया है। सरल शब्दों में, जेडी का अर्थ है अवैध कृत्यों में शामिल नाबालिग।

अपराधी 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो ऐसा अपराध करता है जिसके लिए वयस्क की तरह आरोप और मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए, हालाँकि हर किशोर में किशोर अपराध की पहचान नहीं होती, यह स्पष्ट है कि यह उन सभी व्यवहारिक परिवर्तनों का एक हिस्सा है जो बचपन के अशांत दौर से गुज़रते समय किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। अपराध की गंभीरता व्यक्ति-दर-व्यक्ति अलग-अलग होती है, और आमतौर पर तब तक नज़रअंदाज़ कर दी जाती है जब तक कि कोई विशेष व्यवहार सामाजिक चिंता का विषय न बन जाए। चूँकि बचपन व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का क्षण होता है, इसलिए इस दौरान व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक, यौन और सामाजिक दृष्टिकोण में तेज़ी से क्रमिक परिवर्तन होते हैं। वे भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, और उनके मिजाज़ में लगातार उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। यह भय, कलह और अस्पष्टता का समय होता है। परिणामस्वरूप, वे एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस अवधि के दौरान विशिष्ट व्यवहार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर अपराध होते हैं। अपराधी बच्चे उन उत्कृष्ट बच्चों की श्रेणी से नीचे आते हैं जो अपने सामाजिक समायोजन में बहुत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और इसलिए उन्हें सामाजिक रूप से विचलित या सामाजिक रूप से विकलांग माना जाता है।

वे आपराधिक व्यवहार करते हैं और आपराधिक परिणामों के अधीन होते हैं। सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का उल्लंघन आपराधिक कृत्य माना जाता है क्योंकि ये समाज के सद्भाव को खतरे में डालते हैं। अपराध की प्रकृति और गंभीरता व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है, लेकिन यह हमेशा असामाजिक होता है और इसलिए कानूनी आपराधिक गतिविधि का विषय होता है। इस अर्थ में वे अपराधियों और अनैतिक व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं। हालाँकि, कानूनी शब्दावली में, उन्हें अपराधी नहीं, बल्कि अपराधी कहा जाता है। किशोर अपराध एक न्यायिक शब्द है जो छोटे-मोटे दुर्व्यवहार से लेकर हिंसक आपराधिक आरोपों तक, सामाजिक परिणामों की विभिन्न डिग्री वाले कई प्रकार के कृत्यों को शामिल करता है।

मानव सभ्यता के आरंभ से ही अपराध सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक रहा है, जिसमें बच्चों द्वारा किए गए अपराध भी शामिल हैं। आज, पहले से कहीं अधिक बाल अपराध की समस्या सभी समाजों में मौजूद है, और शिलांग कोई अपवाद नहीं है। शिलांग में, बाल अपराध की समस्या एक प्रासंगिक मुद्दा है और यह "द शिलांग टाइम्स" के लेख में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक साइम द्वारा दिए गए बयान से देखा जा सकता है, जहाँ साइम ने कहा कि "केवल पूर्वी खासी हिल्स में, वर्ष 2007 से 2011 के बीच, छोटे अपराधों में हर साल लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" वह अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों में वृद्धि के कारणों के बारे में भी बात करते हैं और बाल भिखारियों की बढ़ती संख्या की ओर इशारा करते हैं, जहाँ इन बच्चों का इस्तेमाल भीख मांगने और कबाड़ इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है और उनका मानना है कि इन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। लेख में, साइम ने शहर में सहायता प्रणालियों के महत्व पर जोर दिया सिएम ने यह भी बताया कि किशोर अपराधों से निपटने के लिए उचित रोडमैप की आवश्यकता है और इसका सबसे अच्छा समाधान कल्याण अधिकारियों और समुदाय के बीच तालमेल और संचार है।

साहित्य समीक्षा

चौहान, आशुतोष एट अल. (2022) [1]. भारत में, किशोर अपराध एक गंभीर समस्या है जिसने कई युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है। किशोर अपराध और उससे जुड़े मुद्दों का किशोरों, उनके परिवारों और समग्र रूप से समाज पर विविध प्रभाव पड़ता है। यह समस्या केवल अपराध पीड़ितों को ही प्रभावित नहीं करती। हालाँकि, इसका किशोर अपराधी के घर, करियर और समग्र रूप से समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। युवा अपराध के शिकार सबसे स्पष्ट रूप से पीड़ित होते हैं। किशोर अपराधों के सबसे गंभीर परिणाम सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे हैं जो उनके परिवार के सदस्यों और समग्र रूप से समाज को प्रभावित करते हैं। डकैती, बलात्कार और हमलों में शामिल किशोरों की भागीदारी कभी-कभी मानसिक समस्याओं के कारण गंभीर होती है। अपने अवैध कार्यों के परिणामस्वरूप किशोर शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हो जाते हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किशोर अपराध के मनोवैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करना है। शोधकर्ता ने किशोर अपराध के विभिन्न न्यायिक ढाँचों और विभिन्न न्याय-कानूनों के साथ किशोर होने के दावे पर भी प्रकाश डाला है।

अग्रवाल, एट अल. (2018) [2]. बाल अपराध एक गंभीर अपराध है और यह किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। दुनिया भर में किशोर अपराधों में वृद्धि का रुझान है, जिसमें हिंसक अपराधों में युवाओं की बढ़ती संलिप्तता है। भारत में भी किशोरों द्वारा किए गए हिंसक अपराधों की दर में वृद्धि का रुझान दिखाई देता है। यह राष्ट्र के लिए एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है और इस समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत सावधानी से समाधान खोजने की आवश्यकता है। भारतीय कानूनी प्रणाली और न्यायपालिका ने इन प्रवृत्तियों पर प्रतिक्रिया दी है और भारत में किशोर न्याय से संबंधित कानूनों में कुछ संशोधन किए हैं। इस पत्र का उद्देश्य किशोर अपराध के कारणों और विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों द्वारा समस्या को समझाने के लिए दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करना है। आधिकारिक साइटों पर उपलब्ध सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण से जघन्य अपराधों में किशोरों की बढ़ती संलिप्तता का संकेत मिलता है। भारत में किशोर अपराध की समस्या को नियंत्रित करने के लिए, किशोर अपराध से संबंधित अधिनियम में संशोधन किया गया है

यादव, डॉ. (2023) [3]. यह शोधपत्र साहित्य समीक्षा के माध्यम से भारत में किशोर अपराध की गहन पड़ताल करता है, और इसके कारणों, परिणामों और हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। भारत में युवाओं के अपराधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से, इस शोधपत्र का उद्देश्य इस मुद्दे पर हमारी समझ को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, यह भारतीय संदर्भ में किशोर अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए लागू किए जा सकने वाले कानूनी ढाँचे, पुनर्वास कार्यक्रमों और समुदाय-आधारित पहलों पर चर्चा करता है।

शर्मा, डॉ. (2022) [4]. किशोर किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर और उसके स्वर्णिम भविष्य होते हैं, किन्तु किशोरावस्था ही वह अवस्था है जब देश के इस भविष्य को संभालने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। किशोरावस्था संवेदनशीलता, जोश, उत्साह, संघर्ष, श्रम, सीखने, व्यक्तित्व परिवर्तन की अवस्था है। यह आयु सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है और इसी व्यक्तित्व से राष्ट्र निर्माण या विनाश की स्थिति निर्मित होती है। पिछले कई दशकों से किशोर अपराध की राह पर अग्रसर हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो तथ्य चौंकाने वाले हैं। किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराध बढ़ रहे हैं। हत्या, लूट, डकैती, चोरी, बलवा, अपहरण जैसे अपराधों में उनकी संलिप्तता बढ़ रही है, जो एक संकट का विषय है। इससे चिंतित होकर भारत ने 11 दिसम्बर 1992 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा अंगीकृत बाल अधिकार अभिसमय को अपनाया और अपनी सक्रियता दिखाते हुए किशोर न्याय एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2000 बनाया ताकि अपराधी किशोरों के सुधार, उनके संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए कार्य किया जा सके।

रघु, अभिषेक आदि। (2024) [5]। इस अध्ययन का उद्देश्य एनसीआरबी रिपोर्ट में उपयोग की जाने वाली आयु, लिंग, अपराध के प्रकार और विशेषताओं सहित कारकों के आधार पर किशोर अपराध के पैटर्न की जांच करना और किशोर अपराध में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों को समझना है। तरीके: यह अध्ययन द्वितीयक डेटा का उपयोग करके किया गया था जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 2021 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्टों से एकत्र किया गया था। परिणाम और चर्चा: उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में विशेष रूप से विभिन्न राज्यों में किशोर अपराधों का स्तर अधिक है। यह यह भी दर्शाता है कि किशोरों का एक महत्वपूर्ण अनुपात दुर्भाग्य से गरीबी, अपर्याप्त अभिभावकीय मार्गदर्शन, शिक्षा तक सीमित पहुंच और सहकर्मी समूहों के प्रभाव सहित कई

सामाजिक-आर्थिक दबावों का शिकार हुआ है। भारत में अपराध दर ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि का रुझान दिखाया है निष्कर्ष: किशोर अपराध के मुद्दे पर केंद्रित विचार और एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो बच्चों की भलाई को प्राथमिकता दे, साथ ही उनकी सुरक्षा और विचलित व्यवहार में उनकी संलिप्तता को रोकने के लिए सक्रिय उपायों पर ज़ोर दे। शोध के निहितार्थ: ये निष्कर्ष शिक्षाशास्त्र विकास के क्षेत्र में नीति निर्माताओं और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह परिवार के सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए भी प्रासंगिक है जो बच्चों के व्यापक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किशोर अपराध

10 से 17 वर्ष की आयु के किसी किशोर का अवैध गतिविधियों में संलग्न होना बाल अपराध की श्रेणी में आता है। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार सामान्य सामाजिक जीवन से अलग होता है, तो "अपराधी" शब्द का प्रयोग किया जाता है। किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम आयु का वह नाबालिग होता है जो ऐसे व्यवहार में संलग्न होता है जो समाज और/या उसके लिए हानिकारक हो सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के वे लड़के और लड़कियाँ जो अपराध करते हैं, उन्हें किशोर अपराधी कहा जाता है। किशोर अपराधी वह छोटा बच्चा होता है जो सुधरने वाला नहीं होता या जो रोज़मर्रा की अवज्ञा करता है। गोपीनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल के सेंट जॉर्ज मामले में, अभियुक्त ने कहा कि वह बच्चा माने जाने की आयु सीमा से बहुत बड़ा है। हालाँकि, अदालत ने न केवल इस मामले में पहली बार बाल प्रतिष्ठा का तर्क स्वीकार किया, बल्कि अभियुक्त की आयु के निर्धारण के लिए मामले को सत्र न्यायाधीश के पास भी भेज दिया।

राजिंदर चंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण की पुष्टि की और कहा कि उम्र निर्धारित करने के लिए साक्ष्य का मानक संभावना की डिग्री है, न कि उचित संदेह से परे साक्ष्य। कृष्ण भगवान बनाम बिहार राज्य मामले में न्यायालय ने कहा कि किशोर की उम्र निर्धारित करने की उपयुक्त तिथि अपराध की तिथि होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नित दास बनाम बिहार राज्य मामले में अपने पिछले फैसले को पलटते हुए कहा कि किशोर होने के दावे पर निर्णय लेने की तिथि वह दिन होनी चाहिए जिस दिन अभियुक्त को किसी उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाए।

अपराध में योगदान देने वाले कारक

अपराध को बढ़ावा देने वाले कारकों में कई तरह के प्रभाव शामिल हैं, जिनमें व्यक्तिगत विशेषताएँ, पारिवारिक गतिशीलता, साथियों के साथ बातचीत, सामुदायिक वातावरण, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक मानदंड शामिल हैं। ये कारक जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं और युवाओं में अपराधी व्यवहार के विकास और अभिव्यक्ति को आकार देते हैं।

- **जैविक कारक:** इनमें आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ, जन्मपूर्व संपर्क और तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ शामिल हैं जो व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। आनुवंशिक कारक आवेगशीलता या आक्रामकता जैसे लक्षणों में योगदान कर सकते हैं, जबकि पदार्थों के जन्मपूर्व संपर्क से मस्तिष्क का विकास प्रभावित हो सकता है, जिससे आगे चलकर व्यवहार संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **मनोवैज्ञानिक कारक:** मानसिक स्वास्थ्य अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आचरण विकार, एडीएचडी, या मनोदशा संबंधी विकार जैसी स्थितियाँ आवेगी या असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके अलावा, कम सहानुभूति या संवेदना-प्राप्ति की प्रवृत्ति जैसे व्यक्तित्व लक्षण अपराधी कृत्यों में शामिल होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं।
- **माता-पिता का प्रभाव:** पालन-पोषण की शैली, पर्यवेक्षण का स्तर और अभिभावक-बच्चे के रिश्ते की गुणवत्ता, बच्चे के व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जिन बच्चों को निरंतर अनुशासन, सकारात्मक प्रोत्साहन और भावनात्मक समर्थन मिलता है, उनके अपराधी व्यवहार में शामिल होने की संभावना कम होती है। इसके विपरीत, अपर्याप्त पर्यवेक्षण, कठोर अनुशासन या उपेक्षा, अपराधी व्यवहार के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।
- **पारिवारिक संरचना:** पारिवारिक संरचना, जिसमें एकल-अभिभावक वाले घर, माता-पिता का तलाक, या कारावास के कारण माता-पिता की अनुपस्थिति जैसे कारक शामिल हैं, अपराध को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार के भीतर अस्थिरता बच्चे की सुरक्षा की भावना को बाधित कर सकती है और बाहरी प्रभावों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है।
- **सहकर्मी प्रभाव:** किशोरावस्था के दौरान, व्यवहार को आकार देने में साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किशोर अपने साथियों से स्वीकृति या अनुमोदन पाने के लिए अपराधी कृत्यों में लिप्त हो सकते हैं। अपराधी साथियों के साथ संगति से जोखिम भरे व्यवहार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **सामुदायिक वातावरण:** समुदाय की सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ, जिनमें गरीबी दर, बेरोजगारी दर और संसाधनों तक पहुँच शामिल है, अपराध दर को प्रभावित करती हैं। उच्च गरीबी और सीमित अवसरों वाले समुदायों में आर्थिक तनाव, सामाजिक अव्यवस्था और अपराध के संपर्क जैसे कारकों के कारण अपराध दर अधिक हो सकती है।
- **गरीबी:** आर्थिक अभाव तनाव, हताशा और अवसरों की कमी का कारण बन सकता है, जिससे अपराधी व्यवहार में लिप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। शिक्षा और रोज़गार सहित संसाधनों तक सीमित पहुँच, निराशा की भावनाओं को बढ़ाती है और व्यक्तियों को जीवित रहने के साधन के रूप में आपराधिक गतिविधियों की ओर धकेल सकती है।
- **सांस्कृतिक मानदंड:** अधिकार, हिंसा और लैंगिक भूमिकाओं के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक मानदंड जो आक्रामकता, प्रभुत्व या कानून-भंग को बढ़ावा देते हैं या उसका महिमामंडन करते हैं, वे अपराध की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत, जो संस्कृतियाँ सहयोग, अधिकार के प्रति सम्मान और अहिंसक संघर्ष समाधान को प्राथमिकता देती हैं, वे अपराधी व्यवहार को कम कर सकती हैं।

किशोर अपराध के कारण

किशोर अपराध के कारणों को जानना, किसी युवा को अनुचित, हानिकारक या गैरकानूनी व्यवहार करने से रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, बौद्धिक स्वास्थ्य और मादक

द्रव्यों पर निर्भरता, चार प्रमुख जोखिम कारक हैं जो उन युवाओं को पहचान सकते हैं जो असामाजिक व्यवहार के प्रति संवेदनशील हैं। एक किशोर अक्सर इन श्रेणियों से कहीं अधिक जोखिम कारकों के संपर्क में आता है।

- **व्यक्तिगत कारक:** किशोर अपराध के साथ, कई जोखिम कारक पाए गए हैं। कम बुद्धि वाला और पर्याप्त शिक्षा प्राप्त न करने वाला नाबालिग अपराधी व्यवहार में लिप्त होने की अधिक संभावना रखता है। आवेगपूर्ण व्यवहार, अनियंत्रित शत्रुता और संतुष्टि में देरी न कर पाना अन्य जोखिम कारकों में से हैं। कई मामलों में, किशोर अपराध में योगदान और हानिकारक, विघटनकारी और अवैध कार्यों में संलिप्तता जैसे कई व्यक्तिगत जोखिम कारकों को पहचाना जा सकता है।
- **पारिवारिक कारक:** युवाओं में असामाजिक व्यवहार का उभरना परिवार के जोखिम कारकों के लगातार बढ़ते पैटर्न से जुड़ा है। माता-पिता की पर्याप्त देखरेख का अभाव, माता-पिता के बीच लगातार संघर्ष, उपेक्षा और दुर्व्यवहार, ये सभी परिवार के जोखिम कारकों (भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक) के उदाहरण हैं। जिन माता-पिता में कानून और सामाजिक परंपराओं के प्रति सम्मान की कमी दिखाई देती है, उनके बच्चों को उसी तरह से पालने की संभावना अधिक होती है। अंत में, जिन बच्चों का अपने माता-पिता और परिवार से सबसे कम लगाव होता है, वे ही गलत व्यवहार करते हैं, जिसमें असामाजिक व्यवहार भी शामिल है।
- **मानसिक स्वास्थ्य कारक:** किशोरों के दुर्व्यवहार में कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की भी भूमिका मानी जाती है। यह समझना ज़रूरी है कि किशोरों के दुर्व्यवहार में कई बौद्धिक स्वास्थ्य समस्याओं की भी भूमिका मानी जाती है। हालाँकि, यह याद रखना ज़रूरी है कि कई बौद्धिक स्वास्थ्य स्थितियों, विशेष रूप से व्यक्तित्व विकारों का, एक बच्चे के मामले में विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हालाँकि, इन बीमारियों के कुछ पूर्व संकेत होते हैं जो बचपन में दिखाई दे सकते हैं और अक्सर असामाजिक व्यवहार के रूप में सामने आते हैं। सबसे आम स्थितियों में से एक है व्यवहार संबंधी बीमारी।

किशोर अपराध की रोकथाम

- यह व्यापक रूप से माना जाता है कि किशोर अपराध को रोकने के लिए प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप सर्वोत्तम उपाय है। अपराध पर नियंत्रण के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ जन जागरूकता और पेशेवरों एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उचित अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सरकार को किशोरों के लिए उपयोगी और आकर्षक दीर्घकालिक योजनाओं पर अधिक जोर देना चाहिए ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित हों। इस प्रकार, वे अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो आमतौर पर समाज के उदासीन रवैये के कारण खो जाता है। व्यवस्था में शामिल पुलिस जैसी एजेंसियों का दृष्टिकोण केवल दंडात्मक होने के बजाय सुधारात्मक हो सकता है। इसका उद्देश्य अपराधियों को दंडित करने के बजाय उन्हें सुधारना हो सकता है।
- रोकथाम प्रक्रिया में किशोरों को कानून तोड़ने से रोकने के उद्देश्य से व्यक्तियों के साथ-साथ समूह और संगठनात्मक प्रयासों की भागीदारी भी शामिल है। बाल अपराध एक सामाजिक बीमारी है, बच्चे या किशोर का इस तरह से इलाज किया जाना चाहिए, ताकि वह समाज के साथ फिर से समायोजित हो सके। समाज के साथ असंतुलन को बदलना होगा। किशोर अपराध का मूल कारण बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना है, जिसे वे असामाजिक तरीकों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए, हर बच्चे की बुनियादी जरूरतों को सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए, चाहे वह अपराधी हो या गैर-अपराधी। अपराधी बच्चों की अतिरिक्त देखभाल की जानी चाहिए। प्रत्येक किशोर अपराधी पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाना चाहिए। मुख्य ध्यान उसकी शक्ति, प्रतिष्ठा और मान्यता की जरूरतों को पूरा करने पर होना चाहिए।

भारत में किशोर अपराध के लिए दंड

- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 भारत में किशोर अपराध के लिए दंड प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम कानूनी संकट में फंसे नाबालिगों के लिए एक अनूठी न्याय प्रणाली स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य पुनर्वास और पुनः एकीकरण है।
- किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, किशोर अपराध के लिए दंड के सामान्य रूप निम्नलिखित हैं:
- परामर्श और सलाह:यह किशोर को उसके अपराध में योगदान देने वाले किसी भी अंतर्निहित मुद्दे को हल करने के लिए प्रदान किया जा सकता है
- समुदाय विशेष के लिए कार्य करना:किशोर को समुदाय में एक निश्चित समय तक बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। परिवीक्षा: परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में, किशोर को विशिष्ट नियमों और प्रतिबंधों का पालन करना पड़ सकता है।
- निषेधाज्ञा की राहत:किशोर को उनके द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- किशोर हिरासत:अधिक गंभीर अपराधों के लिए किशोर को एक निश्चित अवधि के लिए किशोर सुधार गृह भेजा जा सकता है, लेकिन तीन वर्ष से अधिक नहीं।
- यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि किशोर न्याय अधिनियम किशोर अपराधियों के लिए सज़ा के बजाय पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर ज़ोर देता है। इसके अतिरिक्त, यह कानून पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान किशोरों के अधिकारों की सुरक्षा भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष

किशोर अपराध का समाजशास्त्रीय अध्ययन लगभग सभी सामाजिक संदर्भों में किया गया है, हालाँकि इसकी शुरुआत पश्चिमी समाजों से हुई, जहाँ यह या तो स्पष्ट रूप से या फिर सूक्ष्म रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। समाजशास्त्रियों और अपराधशास्त्रियों ने किशोर अपराध और उसकी परिघटनाओं की अवधारणा बनाने और विभिन्न समयों और स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संदर्भों में अनुभवजन्य रूप से इसका अन्वेषण करने का प्रयास किया है। विभिन्न स्थानिक-कालिक स्थितियों के परिणामस्वरूप किशोर अपराध के आकार, प्रकृति, परिमाण, प्रवृत्तियों और उसके घटित होने के स्रोतों में भिन्नताएँ आई हैं।

संदर्भ

1. चौहान, आशुतोष और शुक्ला, विवेक और अंकेश, अंकेश और शर्मा, मानसी। भारत में किशोर अपराध: कारण और

रोकथाम। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान पत्रिका।, 2022. 10.53730/ijhs. v6nS4.9343।
2. अग्रवाल, दीपशिखा. भारत में किशोर अपराध - किशोर न्याय अधिनियम में नवीनतम रुझान और आवश्यक संशोधन. पीपल: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज. 2018;3:1365-1383. 10.20319/pijss.2018.33.13651383.
3. डॉ. यादव. भारत में किशोर अपराध से निपटने के लिए व्यापक दृष्टिकोण: कारण, परिणाम, निवारक रणनीतियाँ और कानूनी ढाँचा। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान और मानव अनुसंधान जर्नल।, 2023, 06. 10.47191/ijsshr/v6-i6-81।
4. डॉ. शर्मा. 2021 के संदर्भ में भारत में किशोर अपराध का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. कानूनी अनुसंधान विकास: एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरीड ई-जर्नल. 2022;6:13-15. 10.53724/lrd/v6n3.06.
5. रघु, अभिषेक और बालामुरुगन, जे. भारत में किशोर अपराधों के संदर्भ में किशोर अपराध से जुड़े कारक और पैटर्न। रेविस्टा डे गेस्टाओ सोशल और एंबिएंटल।. 2024;18:04942. 10.24857/आरजीएसए। v18n1-088.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.